रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED NO. D.(D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 37] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 10, 1984/माघ 21, 1905
No. 37] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 10 1984/MAGHA 21, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

कृषि मंत्रालय
(कृषि और सहकारिता विभाग)
आदेश

नई दिल्ली, 10 फरवरी, 1984

आ. का. नि. 59(अ).—केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (ग) में विनिर्दिष्ट विषय का उपबंध करने के लिए आदेश करने की, उक्त अधिनियम की उक्त धारा की उपधारा (1) द्वारा उसे प्रदत्त शक्तियां, अमोनिया के भौतिक दानेदार मिश्रणों के संबंध में राज्य सरकार द्वारा भी प्रयोक्तव्य होंगी ।

[सं. 12-5/81-एम टी यू]

एम. एम. चहल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture and Cooperation)

ORDER

New Delhi, the 10th February, 1984

G.S.R. 59(E).—In exercise of the powers conferred by section 5 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby directs that the powers conferred on it by sub-section (1) of section 3 of the said Act to make orders to provide for the matter specified in clause (c) of sub-section (2) of the said section of the said Act be exercisable also by State Governments in relation to physical/granulated mixtures of fertilisers.

[No. 12-5/81-STU]

M. S. CHAHAL, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1984